



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032020-216521
CG-DL-E-03032020-216521

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 127]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 2, 2020/ फाल्गुन 12, 1941

No. 127]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 2, 2020/PHALGUNA 12, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा-शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2020

(सं. 08/2020-केन्द्रीय कर)

सा.का.नि. 147(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवाकर (दूसरा संशोधन) नियम 2020 है।
(2) इन नियमों में अन्यथा उपबोधित के सिवाय, ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 31क के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम 1 मार्च, 2020 से रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(2) लाटरी के प्रदाय का मूल्य, टिकट के अंकित मूल्य का या आयोजनकर्ता राज्य द्वारा राजपत्र में यथा अधिसूचित मूल्य का 100/128, इनमें से जो भी उच्चतर हो समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस उप नियम के प्रयोजनों के लिए "आयोजनकर्ता राज्य" पद का वही अर्थ होगा जो लाटरी (विनियमन) नियम, 2010, के नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (च) में उसका है।"

[फा. सं. 20/06/03/2020-जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) अधिसूचना सा.का.नि. 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा सं. 3/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका संख्यांक सा.का.नि. 4(अ), तारीख 1 जनवरी, 2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 02/2020-केन्द्रीय कर तारीख 1 जनवरी, 2020 अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2020

(No. 08/2020—Central Tax)

G.S.R. 147(E).—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Goods and Services Tax (Second Amendment) Rules, 2020.
(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, with effect from the 1st March, 2020, in rule 31A, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—
“(2) The value of supply of lottery shall be deemed to be 100/128 of the face value of ticket or of the price as notified in the Official Gazette by the Organising State, whichever is higher.

Explanation:—For the purposes of this sub-rule, the expression “Organising State” has the same meaning as assigned to it in clause (f) of sub-rule (1) of rule 2 of the Lotteries (Regulation) Rules, 2010.”.

[F. No. 20/06/03/2020 – GST]

PRAMOD KUMAR, Director

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification No. 3/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017, *vide* number G.S.R. 610(E), dated the 19th June, 2017 and last amended *vide* notification No. 02/2020 -Central Tax, dated the 01st January, 2020, published *vide* number G.S.R. 4(E), dated the 01st January, 2020.